(ख) हाल ही तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत केवल एक आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी थी । इस पर गत दो वर्षों में किया गया खर्च इस प्रकार है :—

1964–65 1,09,700 रुपये (वास्तविक)
1965–66 1,82,200 रुपये (वास्तविक)

8–3–1966 से एक दूसरी आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी काम करने लग गई है ।

(ग) मेडिकल अफसरों (विशेषज्ञों सहित) की कुल संख्या इस प्रकार है :–

सफदरजंग अस्पताल 265 (रजिस्ट्रारों और हाउस सर्जनों सहित)

विलिंग्डन अस्पताल और उपचर्यागृह 96 (तदैव)

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना 382

आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी 5

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय सहित स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय के स्टाफ में 54 एलोपैथिक मेडिकल अफसर और 8 आयुर्वेदिक अफसर हैं ।

समयोपरि भत्ता

4863. श्री विश्राम प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65 तथा 1965–66 में मन्त्रियों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के सम्बद्ध स्टेनोग्राफरों तथा अन्य निजी कर्मचारियों (पर्सनल स्टाफ) को कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही उसे सभा की मेज पर रख दिया जावेगा ।

रामगुण्डम परियोजना

4864. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री किशन पटनायक :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामगुण्डम परियोजना का और विस्तार करने के सम्बन्ध में डा० जे० धर्म तेजा के साथ की जा रही बातचीत असफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त परियोजना के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख). रामागुण्डम में टर्न-की के आधार पर 66 मैगावाट के तीन यूनिट वाले बिजली उत्पादन केन्द्र के प्रतिष्ठापित करने के सम्बन्ध में बातचीत करने के पश्चात् 7 मई, 1965 को आन्ध्र प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और डा० जे० धर्म तेजा के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

समझौते के अनुसार, इससे पहले कि समझौता लागू हो, डा० तेजा को समझौते की तारीख से दो मास के भीतर कुछ शर्तें पूरी करनी थीं । डा० तेजा अभी तक उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाये हैं और उन्होंने राज्य बिजली बोर्ड को उनके द्वारा पहले स्वीकार की गई शर्तों में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है । इस परिवर्तित स्थिति को तथा इसके परिणामस्वरूप हुई देरी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस स्कीम को त्याग दिया है और इसके स्थान पर कोठागुडम चरण-3

स्कीम की स्वीकृति के लिये प्रार्थना की है। तदनुसार रामागुण्डम (3 × 66 मैगावाट) स्कीम को छोड़ देने का फैसला किया गया है।

(ग) तथा (घ). जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

क्षय रोग उन्मूलन

4865. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी 25 वर्षों में क्षय रोग को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) गत वर्ष किये गये व्यय की तुलना में इस वर्ष कितना अतिरिक्त व्यय किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कोई नये क्षय रोग अस्पताल खोलने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी प्रगति हुई है इतनी जल्दी इसका निर्धारण नहीं किया जा सकेगा।

(ग) क्षय रोग सम्बन्धी योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष जितना व्यय किया इस वर्ष उससे अधिक व्यय न करने का अनुमान है।

(घ) इस वर्ष सरकार का कोई नया क्षय रोग अस्पताल खोलने का विचार नहीं है। रोगियों का घर पर उपचार करना उतना ही प्रभावकारी होता है जितना अस्पतालों में और इस पर अपेक्षाकृत खर्च कम आता है। क्षय रोग क्लीनिकों के माध्यम से जितना अधिक हो सकेगा उनसे सक्रिय-रोगियों का उपचार करने का लक्ष्य है और इस प्रकार प्राथमिकता जिला क्षय रोग क्लीनिकों के खोलने को दी जा रही है।

Girl Medicos

4866. Dr. P. Srinivasan: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the percentage of girls admitted into the various Medical Colleges in various States in 1964-65 and 1965-66;

(b) whether there are any proposals to advise States to increase their percentage of admission into Medical Colleges upto 50 per cent in the context of Family Planning expansion programme; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy): (a) The requisite information is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-6230/66].

(b) There is no such proposal.

(c) Does not arise.

Ceiling on Urban Property

4867. Shri Kolla Venkaiah: Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have finalised its decision regarding the imposition of ceiling on urban property as demanded by the All-India Congress Committee's meeting at Guntur in 1964;

(b) if so, the proposed ceiling;

(c) the purpose of it; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay?